नम्बर वे
अहकाम
हुक्म की
मे जा

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

ासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

न्दमा नम्बर 125 / 2017 राजस्व वाद

01. दूदा आत्मज श्री जीवा जी गुर्जर उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) —— वादीगण

बनाम

01. नन्दा पुत्र श्री छीतर गुर्जर उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. प्रभु पुत्र श्री छीतर गुर्जर उम्र बालिग निवासी– रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0) —— प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89, 188, 92(ए) रा.टि.ए.

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

———

वादी की ओर से श्री मुकेश जेन एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की ास्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 11.08.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की श आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि नील दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद रेह पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला वाड़ा (राज0) मे प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 की आराजी नम्बर 503 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा मे से 02 भूमि राजस्व रेकार्ड से कम कर उक्त 02 बिस्वा भूमि के नवीन आराजी नम्बर कायम कर वादी के पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज की जावे व वादी के कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम करायी इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। न खर्चा अपना अपना वहन करे।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

न दिनांक 11.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

जस्व अधिकारी

ालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

ीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मा नम्बर 125/2017 राजस्व वाद
01. दूदा आत्मज श्री जीवा जी गुर्जर उम्र वालिग निवारी– रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
–– वादीगण

बनाम

01. नन्दा पुत्र श्री छीतर गुर्जर उम्र वालिग निवारी– रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. प्रभु पुत्र श्री छीतर गुर्जर उम्र वालिग निवारी– रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
–– प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89, 188, 92(ए) रा.टि.ए.
वाद बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

स्थित :–
ी मुकेश जेन —अधिवक्ता वादी
कपक्षीय –– प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02
रोकार सरकार ––अधिवक्ता–प्रतिवादी
दिनांक–11.08.2025

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादी के विरूद्व वाद बावत घौषणा ज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 89,92–क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हत इस आशय का पेश किया कि ग्राम रेह पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेडा जिला भीलवाडा में आराजियात के साथ वादीगण के खातेदारी अधिकार की हाल आराजी नम्बर 601 रकबा 0.09 विस्वा व जी नम्बर 500 रकबा 0.06 बिस्वा स्थित है जिसके साबिक आराजी नम्बर 241 रकबा 0.09 विस्वा व ी नम्बर 242 रकबा 0.11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 01 बीघा स्थित थी। प्रतिवादीगण के ारी अधिकार की ग्राम रेह पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में हाल आराजी 503 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके साबिक आराजी नम्बर 239 रकबा बीघा 13 बिस्वा स्थित थे। बदोबस्त कार्यवाही के दौरान वादी का साबिक रकबा 1 बीघा का हाल रकबा 15 बिस्वा दर्ज वं प्रतिवादीगण के साबिक रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा का हाल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कायम हुआ ह में बदोबस्त कार्यवाही के दौरान जरीब बडी काम में लिये जाने के कारण हाल रकबे में प्रति बीघ वा जमीन कम होने के कारण वादी का साबिक रकबा 1.00 बीघा की जगह हाल रकबा 17 बिस्व ना चाहिये था एवं प्रतिवादीगण का साबिक रकबा 1 बीघा 13 विस्वा की जगह हाल रकबा 1 बीघ ा दर्ज होना चाहिये था लेकिन राजस्व अधिकारी की गलती के कारण वादी के साविक रकबे 1.0 हाल रकबा 15 बिस्वा ही दर्ज हुआ एवं प्रतिवादीगण के साबिक रकबे 1 बीघा 13 बिस्वा की जग 09 बिस्वा ही दर्ज होना चाहिये था लेकिन 1 बीधा 11 बिस्वा दर्ज हो गया इस प्रकार वादी कबा प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अधिकारियां की गलती के कारण दर्ज हो गया जबकि वादीग न में 17 बिस्या भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। बदोबस्त कार्यवाही के दौरान हुई उक्त त्रुटि वं हाल नक्शा ट्रेस से देखने पर भी स्पष्ट तौर से वादी के हक हिस्से की 02 विस्वा भूमि ण की आराजी नम्बर 503 में मिलाया जाना स्यष्टतया अकित होता है जिससे इस आशय डिकी पारित फरमाया जाना आवश्यक है कि ग्राम रेह, तहसील करंडा जिला भीलवाडा बर 503 रकया 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से दक्षिणी तरफ की 02 बिस्या भूमि जो प्रतिवादि से कमी की जाकर वादी के खाते में आराजी नम्बर 501 व 504 में बेशी दर्ज किया जाये स्ती द्वारा उक्तानुसार आराजी नम्बर 501 व 504 के राजस्व अभिलेख व राजस्व नक्शे में ा आवश्यक है। बंदोबस्त कार्यवाही के दौरान हुई त्रुटि के कारण प्रतिबादीगण के नाम 02 दर्ज हो जाने के कारण प्रतिवादीगण के मन में बदनियति उत्पन्न हो गई है एवं प्रतिवा

Vgm

उपखण्ड अधिकारी पदे
सहायक कलक्टर कर

…02 बिस्वा भूमि से वादी को बेदखल करना चाहते है एवं उक्त भूमि को खुर्द बुर्द अन्यत्र व भांति होने पर आमादा है जिससे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे उक्त हस्तान्तरण रकबे का किसी भी माध्यम से खुर्द बुर्द अन्यत्र व भांति नहीं करे एवं उक्त वादग्रस्त रकबा आराजी नम्बर 603 के दक्षिणी तरफ के 02 बिस्वा भूमि में से वादी का बेदखल नहीं करे तथा वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान न स्वयं उत्पन्न कर अन्य से कराये।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादीगण द्वारा साक्ष्य पेश की गयी, वादीगण द्वारा प्रकरण में दस्तावेजात पेश किये, जिन्हे प्रदर्शित किया गया।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादी के …बिक रकबे अनुसार 02 बिस्वा भूमि जो कि प्रतिवादीगण की भूमि में दर्ज होने से 02 बिस्वा भूमि कम कर वादी के नाम पर दर्ज कराने व खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया।

मैंने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्य का अवलोकन किया गया, वादी की साबिक आराजी नम्बर 241 एवं 242 रकबा 01 बीघा जिसके नवीन जरीब अनुसार …बीघा 03 बिस्वा कम के हिसाब से 17 बिस्वा दर्ज होनी चाहिए लेकिन नवीन आराजी नम्बर 501, 504 …कि 15 बिस्वा दर्ज की यानि 02 बिस्वा भूमि कम दर्ज की व प्रतिवादीगण की साबिक आराजी नम्बर 239 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा का नवीन जरीब अनुसार 01 बीघा 09 बिस्वा होना चाहिए, लेकिन नवीन आराजी नम्बर 603 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा कायम किये गये यानि 02 बिस्वा भूमि वादी की भूमि प्रतिवादी संख्या …के अधिक दर्ज की गयी है। इस कारण से प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 की आराजी नम्बर 603 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा में से 02 बिस्वा भूमि कम कर वादी के खाते में दर्ज की जाने व वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर …गण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद रेह पटवार हल्का दडीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा …) में प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 की आराजी नम्बर 603 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा में से 02 बिस्वा …राजस्व रेकार्ड से कम कर उक्त 02 बिस्वा भूमि के नवीन आराजी नम्बर कायम कर वादी के नाम पर …री हक अधिकार से दर्ज की जावे व वादी के कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करायी जावे। …निर्णय की पालना में तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावे। …नुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)